फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

उरसखां बनाम पुनेखां वगैरा

किस्म मुकदमा—राजस्व वाद — मुकदमा नम्बर—139 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2025	वादी के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन / नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 17.11.2025 को पेश हो।	-
19/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावें। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण मे हमारे गांव के मौजीज लोगो ने आपसी समझाइस करके राजीनामा करवा दिया है इसलिए हम उक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है तथा उक्त राजस्व वाद को इसी स्टेज पर विड्रो करना चाहते है इसलिये उक्त वाद को जरिये राजीनामा विड्रो फरमाया जावें। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के प्रकरण को जरिये राजीनामा विड्रो किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	उरसखान (वकील वादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:45:34 IST
Reason: SelfAttested